राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3812/2022

रामचरण खलमानिया –अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, शिक्षा, सचिवालय, जयपुर।
2. संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पींजाना, जिला बारां।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.08.2022
आदेश की दिनांक : 28.10.2022

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमार सैनी, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अभिभाषक

समक्षः– मातादीन शर्मा, सदस्य
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में संशोधन वास्ते संशोधित अपील प्रस्तुत की, उस पर उनको सुना गया। संशोधित अपील स्वीकर कर संशोधित अपील को रिकॉर्ड पर लिया गया।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पींजाना, जिला बारां में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.08.2022 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नूतन, डग, झालावाड़ किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 01.09.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नूतन, डग, झालावाड़ को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में रूपान्तरित किया गया। अपीलार्थी अंग्रेजी माध्यम की स्कूल में पढाने हेतु सक्षम नहीं है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के दूसरे जिले में दुरस्थ स्थान पर राज्य सरकार की नीति के विरूद्ध किया गया है। अपीलार्थी की विधवा माताजी की देखभाल अपीलार्थी द्वारा ही की जाती है तथा अपीलार्थी की दो पुत्रियां बारां में ही अध्ययनरत् है। अपीलार्थी स्वयं मधुमेह की बीमारी से ग्रसित है, जिसका निरन्तर इलाज चल रहा है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 28.08.2022 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे की अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पींजाना, जिला बारां में कार्य करने दिया जावे तथा वेतन एवं समस्त परिलाभ दिए जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 28.08.2022 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है। अपीलार्थी का मुख्य कथन है कि अपीलार्थी संस्कृत विषय का अध्यापक है तथा अपीलार्थी को स्थानान्तरित विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नूतन, डग, झालावाड़ में स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता। राजकीय अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि विभागीय परिपत्र क्रमांक प. 04(15)शिक्षा–1/2022 दिनांक 23.08.2022 के बिन्दु संख्या 3 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि '' हिन्दी, अंग्रेजी एवं तृतीय भाषाओं के वरिष्ठ अध्यापकों के अतिरिक्त वरिष्ठ अध्यापकों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा।'' इस प्रकार उक्त परिपत्र के अनुसार अपीलार्थी के संस्कृत विषय का अध्यापक होने के कारण स्थानान्तरण किए जाने में किसी प्रकार की अनियमितता अथवा विधि विरूद्ध होने की स्थिति नहीं बनती है। स्थानान्तरण आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है तथा किसी प्रकार की दुर्भावना की स्थिति नहीं है। प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं छात्रहित में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का दूरस्थ स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."*

अतः इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य